38 / 2020

नन्दादास पिता शंकरदास जाति बैरागी निवासी केलजर तह0 व जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1– मुकेश पिता घीसालाल जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
2– मु. मीना पुत्री घीसालाल जी जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
3– मु. कृष्णा पुत्री घीसालाल जी जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
4– मु. गोमा उर्फ लाली पत्नि घीसालाल तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
5– प्रकाश पिता रामेश्वर तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
6– मु. पायल पुत्री रामेश्वर तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
7– मु. टीना पुत्री रामेश्वर तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
8– मु. मंजु पुत्री रामेश्वर तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
9– मु.रूकमा पत्नि रामेश्वर तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
10–लालराम पुत्र बंशीलाल जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
11–गोपाल लाल पुत्र बंशीलाल जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
12–सत्यनारायण पिता जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
13–कैलाशचन्द्र पिता जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
14–अशोक कुमार पिता जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
15–शिवलाल पिता जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
16–मु. लीला पुत्री जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
17–मु. शांति देवी पुत्री जैसिंग जाति तेली निवासी बस्सी तह0 चितौडगढ़
18–श्रीमान भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
19–श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, प्रतिनीधि राज्य सरकार जिला चितौंडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी
श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 22.12.2023

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188–209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है किवादी की कयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा अभयपुरा प.ह. राजगढ में स्थित है जिसके विक्रगय पत्र (बेचान नामा) अनुसार सम्वत 2029 में आराजी नम्बर 122 रकबा 1 बींघा 1 बिंस्वा , आराजी नं. 123 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा , असाराजी नम्बर 125 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी नम्बर 127 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 126 रकबा 18 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा है। उक्त जमीन को वादी नन्दादास जी बैरागी ने सम्वत 2029 का माघ बुदी 6 तद्अनुसार दिनांक 24.01.1973 कय कर उप पंजियन बूँ के यहॉ विकय पत्र निष्पादित कराया तभी से मौके पर वादी का कब्जा काश्त होकर निरन्तर बेरोक टोक काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि मौजा अभयपुरा प.ह. राजगढ़ में स्थित विवादित आराजीयात का मूल खातेदार प्रेमकवर पत्नि दौलतसिंह जी राजपूत निवासी बस्सी से मृतक खातेदार जैसिंह पिता बालू जी तेली ने कय की जिसके नाम पर वर्तमान में राजस्व खाता अंकित है। मृतक खातेदार जैसिंग जी तेली के जायंदा वारीस प्रतिवादीगण सं. 12 से 17 हैं प्रतिवादीगण का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:16 IST
Reason: SelfAttested

जैसिंग पिता बालू जी तेली

सत्यनारायण	कैलाश	अशोक	शिवलाल	लीला	शांति	नन्दुबाई	शांतादेवी
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पत्नि फोत	पत्नि फोत

फोत

चौथालाल फोत　　　　　　　　　रामेश्वर फोत　　　　　　　　　लालाराम
गोपाललाल

मुकेश मीना कृष्णा गोमा उर्फ　　प्रकाश पायल टीना मंजु रूकमा
पुत्र पुत्री पुत्री लाली पत्नि　　पुत्र पुत्री पुत्री पुत्री पत्नि

यह कि मौजा अभयपुरा में मृतक खातेदार जैसिंह तेली ने अपने जीवन काल में अपने खातेदारी की आराजयीात जिसके गत सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा , 41 रकबा 1 बींघा, 45 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा , 46 रकबा 4 बिस्वा कुल किता–4 कुल रकबा 5 बींघा 16 बिस्वा थे जिसको मगसर सुदी 6 सम्वत 2027 तदानुसार दिनांक 7.12.1970 को बंशीलाल पिता मुथरालाल जी तेली निवासी बस्सी को विक्रय इकरार कर दिनांक 25.01.1971 को उप पंजियन बेगूं के यहां विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया तभी से बंशीलाल जी तेली मौके पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करते रहे है। विक्रय पत्र की प्रति साथ संलग्न है।

यह किं उक्त विवादित आराजीयात के सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी नम्बर 40 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 41 रकबा 1 बीघा, 43 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 44 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 45 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 46 रकबा 4 बिस्वा, 47 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा थे जिसके मिलान खसरा अनुसार परिवर्तित नए आराजी नम्बर 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127 नम्बर बने। केता बंशीलाल जी तेली के नाम पर विक्रय आराजीयात का नामान्तरण नहीं खुला और इसी दरमीयान उक्त कयशुदा आराजी और अपने स्वयं की पुश्तैनी खातेदारी की आराजी मे से बंशीलाल जी तेली आराजी नं0 122, 123, 125, 127, 126/1 कुल किता–5 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा जमीन को वादी नन्दादास जी बैरागी को सम्वत 2029 का माघ बुदी 6 तद्नुसार दिनांक 24.01.1973 विक्रय कर उप पंजियन बेगूं के यहॉ विक्रय पत्र निष्पादित करा दिया तीाी से मौके पर वादी का कब्जा काश्त होकर निरन्तर वादी बेरोक टोक काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि मृतक खातेदार जैसिंग जी तेली का उक्त विवादित आराजीयात में कोई हक हिस्सा सन 1971 के बाद शेष नहीं बचा न ही मौके पर जैसिंग जी का व प्रतिवादीगण का कोई कब्जा है न कीाी रहा, इस बात की सम्पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को होने के बावजूद भी वादी के नाम उक्त आराजीयात का नामान्तरण नहीं खुला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी नं0 16 लीलादेवी के मन में बदनियती आ जाने से मृतक खातेदार जैसिंग जी तेली की ग्राम घोसुण्डी प.ह. घोसुण्डी तह. व जिला चितौडगढ में स्थित आराजीयात में विरासत से प्रतिवादीगण के नाम खुले नामान्तरण का सहारा लेकर उस नामान्तरण की नकल ग्राम पंचायत राजगढ में पेश कर सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ मे पेश कर सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ से सांठ गांठ कर बिना किसी हक व अधिकार के और बिना किसी कानूनी आधार के आधारहीन टिप्पणी करवा करके नामान्तरण संख्या 90 प्रतिवादीगणक` नाम खुलवा दिया जो कानूनन गलत हैं। प्रतिवादी सं. 16 लीला देवी राजगढ सरपंच की पार्टी की कार्यकर्ता है और वादी से द्वेशता रखती है इसलिए वादी को मात्र परेशान कर जमीन हडप कर अन्य व्यक्ति को विक्रय कर रूपये ऐठने की नियत से दोनो ने मिलकर विधि विपरीत निर्णय पारित कर इन्तकाल नं0 90 प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामान्तरण सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ ने षडयंत्र पूर्वक और द्वेशता पूर्वक बिना किसी आधार के नामान्तरण पर निर्णिय पारित करते हुए नामान्तरण प्रमाणित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त विवादित आराजीयात को वादी ने सन 1973 में कय की तभी से वादी का लगातार कब्जा 50 वर्षो से चला आ रहा है और विक्रय पत्र बेचान नामा के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात को वादी अपने नाम खातेदारी की घोषित कराने के कानूनन अधिकारी हैं। इसलिए यह वाद घोषणा आराजीयात का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि विवादित आराजी वादी के क्रयशुदा होकर 50 वर्षो से लगातार कब्जे काश्त की इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे दौराने वाद व बाद घोषणा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें न करावे न उक्त विवादित आराजीयात को रहन बय व बक्षीस आदि कर खुद बुर्द न करें व वादी को उसका उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण करने देवें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:32:16 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वाद कारण नामान्तरण संख्या 90 के निर्णय दिनांक 05.0[illegible]20 का होकर वादी को इस निण्रय की जानकारी मिलने पर दिनांक 10.07.2020 को नामान्तरण की नकल से प्राप्त हुई जिससे जानकारी होने पर नामान्तरण निरस्त कराने बाबत अपील प्रस्तुत की व प्रतिवादीगण को विवादित आराजी वादी के नाम कराने का तकाजा करने पर मना करने से पैदा होकर हर रोज वद्रमान है। वादी द्वारा विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने बाबत आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर पृथक से यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 18 व 19 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधि राज0सरकार होन`से पक्षकार बनाया गया है।

गत आराजी नम्बर 44मी. व 43मी.से 121, 122, 123 एवं गत आराजी नम्बर 52/41 से नये नम्बर बने है। तथा गत नम्बर 41 व 52/41 से 125 बने है, गत नं. 42 व 42मी. से 126 बने है तथा गत आराजी सं. 40 से 117 व 48 से 128 नये नम्बर बने होना पाया गया हैं ।

प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी है जिसमें आराजी संख्या 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49/1, 49/ व 52/41 किता–16 रकबा 234 बीघा 9 बिस्वा भूमि का विवरण अंकित है। उक्त भूमि श्री प्रेमकंवर व विलायत गुलाब कंवर पत्नि दोलतसिंह राजपूत के नाम अंकित है।

नकल जमाबंदी मौजा अभयपुरा प.ह. राजगढ सं. 2070 से 2073 की प्रस्तुत की है जो कि प्रदर्श नहीं कराई गई है उक्त जमाबंदी में श्री बंशी पिता मतरा जैसिंह पिता बालू तेली बस्सी खातेदार के नाम पर आराजी नम्बर 117 रकबा 0.0400 हैक्टर आ.चा. दर्ज है तथा आराजी संख्या 119, 124, 125 किता–3 कुल रकबा0.5400 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री बंशी पिता मतरा तेली सा. बस्सी दर्ज अंकित है। इसके अलावा एक और दस्तावेज पत्रावली में छायाप्रति प्रस्तुत किया है वह भी प्रदर्श– नहीं किया गया है, क्यो कि यह नकल नामान्तरण संख्या 90 की छायाप्रति है, यह नामान्तरण जैसिंह की मृत्यु होने से उनकी विरासत से सत्यनारायण कैलाशचन्द्र अशोककुमार शिवलाल लीलादेवी शांतिदेवी पिता जैसिंग तेली सा.बस्सी के नाम पर दर्ज किया गया है।

इन सभी दस्तावेज के गहन अवलोकन से पाया जाता है कि वाद वर्णित आराजी जो वादपत्र में अंकित है तथा जिसका पंजीकृत विक्रय प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर गत आराजी का जैसिंह पिता कालूराम द्वारा श्री बंशीलाल पिता मुतरालाल जी तेली को किया गया था तथा बंशीलाल पिता मुतरा लाल तेली सा. बस्सी द्वारा आराजी का विक्रय वादी श्री नन्दादास पिता शंकरदास जी बैरागी को किया गया है, प्रस्तुत नकल खसरा सेटलमे'न्ट से गत आराजी के नवीन आराजी का नम्बर मिलान किया गया है जो सही पाया जाता है। इस प्रकार पंजीकृत विक्रय पत्र विलेख के आधार पर वादी नन्दादास पिता शंकरदास बैरागी निवासी केलजर बंशीलाल पिता मुतरालाल तेली द्वारा वादी को विक्रय की गई आराजी नं. 122 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा , 123 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 125 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा, 127 रकबा 2 बीधा, 126 रकबा 18 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है साथ ही वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी भी पाये जाते है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा डिक्री किया जाता है। मौजा अभयपुरा प.ह. राजगढ की आराजी नं. 122 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा , 123रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 125 रकबा 2 बीधा 4 बिस्वा, 127 रकबा 2 बीधा, 126 रकबा 18 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि का वादी नन्दादास पिता शंकरदास बेरागी निवासी केलजर को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 17 तक को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावें, वादी को उपरोक्त वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण करने देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:32:16 IST
Reason: SelfAttested